राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(8)नविवि/2020 –00825 **जयपुर, दिनांकः– यथा हस्ताक्षरित**

–ःआदेशः–

RSRTC & RSBTD भूमियों पर बस स्टेण्डों को आधुनिकतम सुविधायुक्त बनाये जाने की दृष्टि से इन भूमियों का वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। इन भूमियों पर RSRTC & RSBTD द्वारा बस स्टेण्ड के आधुनिकीकरण एवं विकास हेतु बस स्टेण्ड के साथ – साथ अन्य संगत उपयोग प्रस्तावित किये जाने पर ऐसे उपयोग को भू–उपयोग परिवर्तन/मास्टर प्लान अथवा जोनल प्लान में संशोधन की कार्यवाही के बिना ही अनुमत किया जा सकेगा बशर्ते प्रस्तावित भवन हेतु प्रचलित भवन विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए संबंधित नगरीय निकाय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), जयपुर।
7. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त––––––––––––––––––––––––।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
12. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव– प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.05.07 14:47:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15105421